न्यायालय–विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी – सुनीता बेड़ा, आर.जे.एस. (डी.जे. कैडर)

मूल आपराधिक प्रकरण संख्या – 39/2023 (सी.आई.एस सं. 39/2023)

सी.एन.आर. संख्या – RJHG060001632023

राजस्थान राज्य

बनाम

काले खां पुत्र मुंसफ अली, उम्र–42 वर्ष, निवासी–वार्ड नं. 5, नई खुंजा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अभियुक्त––

अपराध अंतर्गत धारा 450, 376(2)(n), 506 भा.दं.सं. एवं धारा 3(1)(S) 3(2)(V), 3(2)(Va) 3(1)(W)(ii) एससी/एसटी एक्ट

उपस्थित:–
1– श्री पवन श्रीवास्तव, विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक वास्ते राज्य।
2– श्री राजकुमार बागोरिया, विद्वान अधिवक्ता वास्ते पीड़ित पक्ष।
3– श्री प्रतीक छाबड़ा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

नोटः– हस्तगत प्रकरण अपराध धारा 376 भा.द.सं. (लैंगिक उत्पीड़न/यौन अपराध) से संबंधित होने से इस मामले की पीड़िता की पहचान को गुप्त रखने के लिए इस निर्णय में पीड़िता को परिवर्तित नाम "S" से संबोधित किया जा रहा है।

–– निर्णय––

दिनांक:–03.08.2026

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 15.10.2022 को परिवादिया/पीडिता "S" ने मय अपने पति के थानाधिकारी, पुलिस थाना महिला हनुमानगढ़ के समक्ष उपस्थित होकर एक टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह वार्ड नंबर 58 हनुमानगढ़ जंक्शन की रहने वाली है। उसका पड़ौसी काले खां कबाड़ की दुकान करता है, जो उसको अकेली देखकर उसके घर पर कभी मोबाईल चार्ज लगाने, कभी पानी–चाये पीने के बहाने आ जाता था। उसका पति मजदूरी करने के लिए अक्सर बाहर रहता है। अर्सा 2 माह पूर्व मुलजिम काले खां उसके घर आया तब उसकी दोनों लड़कियां स्कूल गयी हुई थी और वह घर पर समय लगभग 12 बजे स्नानघर में नहा रही थी तब मुलजिम काले खां ने उसकी नग्न अवस्था में चुपके से अपने मोबाईल में फोटो खींच ली व विडियो बना ली और कहा कि जैसा कहता हूं तू वैसे कर और तूने अपने पति को बताया तो वह उसकी नग्न अवस्था

में फोटो व विडियो सार्वजनिक कर देगा और उसके पति के पास भेज देगा। तत्पश्चात् मुलजिम ने उसके साथ जबरन उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया। मुलजिम काले खां किसी बहाने से उसको अकेली देखकर उसके घर आकर उसको डरा–धमकाकर व उसकी अश्लील फोटोज व विडियो सार्वजनिक करने का भय दिखाकर ब्लैकमेल कर उसके साथ जबरन इच्छा के विरूद्ध बलात्कार करने लगा। वह विरोध करती तो मुलजिम उसको जातिसूचक गालियां निकालकर अपमानित करता व कहता कि साली बावरनी, रूंगी जैसा कहता हूं, वैसा कर अन्यथा तुझे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोडूंगा व मौका देखकर रात्रि को भी दीवार फांदकर जबरन उसके घर में घुसकर उसके साथ गाली–गलौच व मारपीट कर व उसकी अश्लील फोटोज व विडियो वायरल करने का भय दिखाकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार करता इत्यादि।

उक्त टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना महिला हनुमानगढ़ में प्राथमिकी संख्या 411/2022, अंतर्गत धारा 323, 450, 376(2)(n), 506, 354डी भादस व धारा 3(2)(Va) एससी/एसटी एक्ट में दर्ज हुई। बाद अनुसंधान अभियुक्त काले खां के विरूद्ध धारा 450, 376(2)(n), 506 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(S), 3(2)(V), 3(2)(Va), 3(1)(W)(ii) एससी/एसटी एक्ट में आरोप पत्र पेश किया गया। जिस पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उस पर आरोपित उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2– तत्पश्चात् हस्तगत प्रकरण में बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त काले खां को धारा 450, 376(2)(n), 506 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(S), 3(2)(V), 3(2)(Va), 3(1)(W)(ii) एससी/एसटी एक्ट के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए, जिन्हें अभियुक्त ने सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3– हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहान को परीक्षित करवाया गयाः–

क्रम सं.	**गवाह का नाम**	**गवाह की प्रकृति**
पी.ड. 1	डॉ. अनुपमा पत्नी डॉ. अतुल कड़वासरा	पीड़िता का मेडिकल मुआयना बाबत
पी.ड. 2	जगदीश पुत्र बृजलाल	पीड़िता का पति
पी.ड. 3	पीड़िता "S"	घटना बाबत
पी.ड. 4	संध्या पत्नी विकास भादू	एफ.आई.बार कर्ता
पी.ड. 5	प्रहलाद राय पुत्र सांवरमल	अनुसंधान बाबत
पी.ड. 6	डॉ. इंद्रसेन झाझड़ा	अभियुक्त का मेडिकल मुआयना बाबत
पी.ड. 7	अरूण कुमार पुत्र लालचंद शर्मा	अग्रिम अनुसंधान बाबत

पी.ड. 8	मोनिका पत्नी हेतराम	आरोप पत्र बाबत

4— अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया:—

क्र.सं.	अभियोजन द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजात का विवरण	प्रदर्श सं.
1	मेडिकल मुआयना पीड़िता	प्रदर्श पी 1
2	पीड़िता का मेडिकल मुआयना बाबत जारी तहरीर	प्रदर्श पी 2
3	चिकित्सीय दस्तावेज पीड़िता	प्रदर्श पी 3 व 4
4	एफ.आई.आर तहरीर	प्रदर्श पी 5
5	चाकशुदा एफ.आई.आर	प्रदर्श पी 6
6	नक्शा मौका घटनास्थल व हालात मौका	प्रदर्श पी 7 व 7 ए
7	पीड़िता के धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान	प्रदर्श पी 8
8	पुलिस बयान पीड़िता	प्रदर्श पी 9
9	प्रमाण पत्र 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम	प्रदर्श पी 10
10	पीड़िता के 164 दं.प्र.सं. के बयान हेतु जारी तहरीर	प्रदर्श पी 11
11	अभियुक्त का मेडिकल मुआयना	प्रदर्श पी 12
12	एसीजेएम के समक्ष पीड़िता के बयान करवाने हेतु पेश तहरीर	प्रदर्श पी 13
13	फर्द गिरफतारी मुलजिम काले खां	प्रदर्श पी 14
14	सूचना गिरफतारी मुलजिम काले खां	प्रदर्श पी 15
15	अभियुक्त का मेडिकल मुआयना करवाने बाबत मेडिकल ज्यूरिष्ट को दी गई तहरीर	प्रदर्श पी 16

5— अभियुक्त को धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य एवं परिस्थितियों को गलत बताया एवं स्वयं को निर्दोष होना जाहिर करते हुए उसके विरूद्ध झुठा मुकदमा करवाने का कथन किया और साक्ष्य प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने से इंकार किया।

6— बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन, अवलोकन व परिशीलन किया गया।

7— दौराने बहस अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन की ओर से परीक्षित महत्वपूर्ण गवाह स्वयं पीड़िता "S" पी.ड. 3 पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुई हैं जिसने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट कथन किए हैं कि उसके पति ने उससे झूठा मुकदमा करवाया है। उसका पति उसके साथ मारपीट करता है। परिवादिया के पति ने जिरह में स्पष्ट कथन किए हैं कि उसने गोयल फोटो स्टेट से प्रार्थना प्रदर्श पी 5 लिखाया था जो खुद वकील भी है।

उसके सामने कोई घटना नहीं हुई। उनका यह भी तर्क रहा है कि एफ.आई.आर. काफी विलम्ब से दर्ज करवाई गई है जिसका कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया गया है। पीड़िता के मेडिकल मुआयना के संबंध में डॉ. अनुपमा पी.ड. 1 परीक्षित हुई जिसने स्पष्ट कथन किया कि पीड़िता ने 40 दिन पुराना वाका बताया था और वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकती कि उसके साथ किसी प्रकार का फोर्सफुली इंटरकोर्स हुआ हो। पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा जो उसके आपतिजनक फोटो व वीड़ियो खींचना बताया है वह फोटो व वीड़ियो भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अभियुक्त के विरूद्ध ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है, जिससे अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित होते हों। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

8— विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि अभियोजन साक्षियों ने न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य दी है। ऐसे में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित हैं। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावे।

9— उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष अब निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं कि:—

1. आया पीड़िता "S" अनुसूचित जाति/जनजाति की सदस्या हैं?

2. आया अभियुक्त ने दिनांक 15.10.2022 को पुलिस थाना में दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट से लगभग दो माह पूर्व वाके वार्ड नंबर 58 सुरेशिया हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित पीड़िता के रहवासीय मकान में आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अतिचार किया व उक्त दिनांक से पूर्व व पश्चात विभिन्न समयो पर पीड़िता के रहवासी मकान में बार—बार उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती उसके साथ बलात्संग कर पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर उसका संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास किया?

3. आया अभियुक्त ने पीड़िता जो कि अनुसूचित जाति की सदस्या है को लोदृष्टि स्थान पर जातिसूचक गाली गलौच की व उसके साथ लैंगिक प्रकृति के शब्दों, कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग किया व उसके विरूद्ध भा.दं.सं. के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध को कारित किया तथा उसके विरूद्ध अनुसूची में वर्णित किसी भी अपराध को कारित किया?

10— उक्त विचारणीय बिंदुओं को साबित करने के अग्रसरण में अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले को साबित करने के लिए कुल 10 गवाहान को परीक्षित करवाया गया। प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 5 जिसके आधार पर उक्त प्रकरण दर्ज किया गया। पीड़िता "S" जो कि बतौर गवाह पी.ड. 2 के रूप में परीक्षित हुई, पक्षद्रोही घोषित हुई हैं जिसने अपने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 5 के कथनों की ताईद नहीं की जिसके द्वारा दौराने मुख्य परीक्षण यह कथन किए गए

हैं कि उसके पति ने उससे झूठा केस करवाया है उसका पति उसके साथ मारपीट करता है। उसे धमकी देता रहता है और उसका पति दूसरी औरतों के साथ संबंध रखता है। वह अक्सर उसके साथ मारपीट करता है। विशिष्ट लोक अभियोजक की जिरह में उक्त साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि काले खां के साथ उसकी जान पहचान थी। काले खां कभी घर नहीं आया था। अधिवक्ता मुलजिम की जिरह में उक्त साक्षी का कहना है कि प्रदर्श पी-5 दरख्वास्त उसका पति लिखवाकर लाया था और उसके साथ मारपीट कर उसके हस्ताक्षर करवा लिये। उसने अपने पति को कभी नहीं बताया कि उसके साथ काले खां ने जबरदस्ती बलात्कार किया व न ही यह बताया कि उसके नहाते हुये की उसकी नग्न अवस्था में फोटो व वीड़ियो बना ली हो। उसने पुलिस के सामने प्रदर्श पी-5, प्रदर्श पी-6 पर हस्ताक्षर किये थे वो अपने पति के दबाव में किये थे। उसके पति ने यह धमकी दी थी कि वह उसे घर में अपने साथ नहीं रखेगा अगर काले खां पर मुकदमा ना कराया तो। प्रदर्श पी-7 पर उसके हस्ताक्षर पुलिस ने थाने में कराये थे जो खाली कागज पर कराये थे। उसने प्रदर्श पी-8 भी जज साहब के सामने बयान दिये थे वो पति के दबाव में दिये थे। उसके साथ ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी। काले खां ने उसके साथ कभी जबरदस्ती नहीं की, न बलात्कार किया व ना ही उसकी नग्न अवस्था में फोटो खींची। काले खां ने उसे कभी भी जाति सूचक गालियां निकाल कर अपमानित नहीं किया। उसे काले खां ने डराया धमकाया भी नहीं।

11- पीड़िता का पति जगदीश पी.ड. 2 के रूप परीक्षित हुआ, ने दौराने मुख्य परीक्षण एवं जिरह में कथन किए हैं कि उसके मकान के पास ही काले खां की कबाड़ की दुकान थी। काले खां अक्सर उनके घर पर पानी लेने तथा मोबाइल चार्ज करने आता था। वह उस समय बीकानेर साईड में मजदूरी के लिए बाहर गया हुआ था। जब वह घर आया तो उसकी पत्नी सावित्री ने उसे बताया कि जब वह घर में नहा रही थी तो काले खां चुपके से आया और उसके नहाते हुए की नग्न अवस्था की फोटो बना ली थी। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि काले खां ने बताया कि उसने उसकी मोबाइल से नग्न फोटो बना ली है और वह और लोगों को भेज देगा व उसके घरवाले को भी भेजेगा व बताया कि काले खां उसे फोटो का भय व डर दिखाकर जबरदस्ती बलात्कार किया व अक्सर उसकी नग्न फोटो का भय दिखाकर उसका बलात्कार करता था तथा कहता था कि अगर उसके पति को बताया तो मोबाइल से उसकी फोटो समाज के अन्य लोगों को भेज देगा और उसकी पत्नी ने यह भी बताया था कि उसकी पत्नी विरोध किया था तो काले खां ने ढेडनी, बावरनी की जाति सूचक गालियां निकाली थी और कहा था कि उसको समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। फिर काले खां मौका देखकर दीवार कूदकर घर में आया था और उसकी पत्नी के साथ नग्न अवस्था में फोटो दिखाकर बलात्कार किया था। उसके बाद उसकी पत्नी उसे साथ लेकर महिला थाने में

गयी थी वहां पर दरख्वास्त प्रदर्श पी–5 दी थी जिस पर उसके हस्ताक्षर ए से बी है जिस पर पुलिस ने चाक एफआईआर प्रदर्श पी–6 दर्ज की थी जिस पर उसके हस्ताक्षर ए से बी करवाये थे। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–7 बनाया था जिस पर भी उसके हस्ताक्षर ए से बी करवाये थे। उसकी पत्नी के जज के समक्ष बयान हुये थे। उसकी पत्नी का मेडिकल मुआयना भी हुआ था। उसकी पत्नी का जाति संबंधी प्रमाण पत्र पुलिस को दिया था। पुलिस ने उसके बयान लिये थे।

जिरह में उक्त साक्षी का कहना है कि उसने गोयल फोटो स्टेट से प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 5 लिखाया था जो खुद वकील भी है। वह बीकानेर से दसवें महीने की 5–6 तारीख को आया था। उसके बीकानेर से आने के तुरंत बाद ही उसकी पत्नी ने घटना के बारे में बता दिया था। उसके सामने कोई घटना नहीं हुई। प्रदर्श पी 7 नक्शा मौका पर उसके हस्ताक्षर घर पर कराए थे जो शाम के पांच बजे कराए थे। उक्त साक्षी का जिरह में आगे कहना है कि उसका घर आबादी एरिया में है। उसके घर के बाहर का गेट टूटा हुआ है जो सिर्फ कबाड़ है। मुलजिम की दुकान उसके घर से सौ फुट की दूरी पर है। रास्ते में करीब दो घर आते हैं। उसके पास मोबाइल है। उसकी पत्नी के पास भी मोबाइल है। फोन पर बात रेंज न होने के कारण नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी बात होती थी। उससे पहले उसकी पत्नी ने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया था।

12– पीड़िता का मेडिकल मुआयना करने वाली चिकित्सक अनुपमा पी.ड. 1 के रूप में परीक्षित हुई है, ने दौराने मुख्य परीक्षण यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 15.10.2022 को कैनाल कॉलोनी अस्पताल में मेडिकल आफिसर के पद पर तैनात थी। उस रोज सावित्री पत्नी जगदीश उम्र 30 वर्ष निवासी–वार्ड नं. 58 सुरेशिया हनुमानगढ़ जंक्शन का पुलिस प्रतिवेदन पर उसका बलात्कार संबंधी मेडिकल मुआयना किया था। उस वक्त सावित्री के साथ महिला कानि. ममता थी। पी़डिता के पहचान चिन्ह निम्न प्रकार थेः–01. दाई साईड के जबडे पर एक काला तिल का निशान था। 02. दाई आंख के नीचे गाल पर तिल का निशान था। पी़डिता ने बताया था कि दो महीने पहले नहाते समय पडौसी ने उसकी फोटो खींचकर धमकाया था व डराया था तथा उसके साथ फोटो का डर दिखाकर बलात्कार किया था। परीक्षण में पी़डिता ने बताया था कि उसने वरवक्त घटना के समय कपड़े पहने थे वो वह धो चुकी है। पी़डिता के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। पीडिता का प्रेग्नेंसी टेस्ट नेगेटिव था। घटना पुरानी होने के कारण कोई भी सैंपल नहीं लिया गया था। पीडिता घटना के चालीस दिन बाद उसके पास आई थी व उसका परीक्षण सामान्य था। पी़डिता के साथ बलात्कार होने की घटना से इंकार नहीं किया जा सकता। पीड़िता का किया गया मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी–1 है। पुलिस प्रतिवेदन प्रदर्श पी–2 है जिस पर उसके हस्ताक्षर ए से बी है। पीडिता की

ब्लड टेस्ट रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 है। पीडिता की ओपीडी स्लीप प्रदर्श पी–4 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

जिरह में उक्त साक्षी का कहना है कि वह रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में उसकी ओपिनियन अनुसार निश्चित रूप से यह नहीं कह सकती कि पीड़िता के साथ फोर्सफुली इंटरकोर्स हुआ था। अज खुद कहा कि पीड़िता ने चालीस दिन पहले का वाका होना बताया था। उसे पीड़िता ने उसके साथ दो बार बलात्कार होने की बात बताई थी, अगर ज्यादा बार बताती तो वह इसमें इसका उल्लेख कर देती। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर जबरदस्ती करने बाबत किसी प्रकार की कोई खरोंच लालीमा का निशान नहीं पाया गया था।

13– अभियुक्त काले खां का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले साक्षी डॉ. इंद्रसैन झाझड़ा पी.ड. 6 के रूप में परीक्षित हुए हैं, ने दौराने मुख्य परीक्षण कथन किए हैं कि दिनांक 01.04.2023 को उसने महिला थाना हनुमानगढ़ जंक्शन की तहरीर पर काले खां पुत्र श्री मुंसफ अली, उम्र 36 साल का सेक्स क्षमता बाबत परीक्षण किया उसमें उसने पाया कि उसके बाह्य जननांग नोर्मल थे, वह मानसिक व शारीरिक रूप से भी स्वस्थ था। उसके परीक्षण के बाद उसने निष्कर्ष निकाला की वह सेक्स करने में समर्थ था। मेडिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी 12 है। जिरह में उक्त साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 12 के लिए जो तहरीर उसे पुलिस द्वारा दी गई थी वह आज पत्रावली में नहीं है और आज वे साथ भी लेकर नहीं आया। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा मुलजिम के कोई सैंपल नहीं लिए गए, क्योंकि घटना पुरानी थी।

14– एफ.आई.आर. कर्ता संध्या पी.ड. 4 के रूप में परीक्षित हुई है, ने दौराने मुख्य परीक्षण कथन किए हैं कि वह दिनांक 15.10.2022 को पुलिस थाना महिला हनुमानगढ़ में कार्यवाहक थानाधिकारी के पद पर तैनात थी तो उस रोज परिवादिया सावित्री देवी पत्नी जगदीश, जाति बावरी, निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते दर्ज करने मुकदमा पेश किया था जो प्रदर्श पी 5 है जिस पर सावित्री देवी के हस्ताक्षर सी से डी है व उसके द्वारा कार्रवाई पुलिस की गई थी जो जी से एच है। उसके द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 323, 450, 376(2)(एन), 506, 354–घ भादस व 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट में दर्ज की थी जो प्रदर्श पी 6 है। प्रकरण में अनुसंधान पुलिस उप अधीक्षक एससी एसटी सेल के द्वारा किया गया था। अनुसंधान अधिकारी के निर्देशन में उसके द्वारा पी़डिता सावित्री देवी के बयान अतंर्गत धारा 161 सीआरपीसी में लिये गये थे। उसी वक्त बयान के समय ही उसके द्वारा विडियोग्राफी की गई थी व बयानों को पेनड्राइव में डाले गये थे जिसका धारा 65 बी भा.सा.अधिर्नियम का प्रमाण पत्र प्रदश पी 10 है।

दौराने जिरह उक्त साक्षी ने कथन किए हैं कि प्रदर्श पी 5 एक्स स्थान पर

दिनांक पर कटिंग उसे प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसी समय की थी। प्रार्थना पत्र में दो माह पूर्व जो घटना बताई थी उस समय प्रार्थना पत्र नहीं लगाया गया था। उसे जिस दिन प्रदर्श पी 5 प्रार्थना पत्र दिया था उस समय उसके समक्ष कोई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। उसने प्रार्थीया के कहने से उसकी जाति मानकर एससी/एसटी में मुकदमा दर्ज किया था।

15– प्रकरण का अनुसंधान एवं अग्रिम अनुसंधान करने वाले साक्षी प्रहलाद राय व अरूण कुमार क्रमशः पी.ड. 5 व पी.ड. 7 के रूप में परीक्षित हुए। साक्षी प्रहलादराय पी.ड. 5 ने दौराने मुख्य परीक्षण यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 17.10.2022 को पुलिस उप अधिक्षक एससी/एसटी सेल में वृताधिकारी के पद पर तैनात था तो उस रोज उसे एफआईआर नं. 411/2022 पीएस महिला हनुमानगढ़ की पत्रावली वास्ते अनुसंधान प्राप्त हुई थी जिस पर उसने घटना स्थल पहुंच घटना स्थल का मौका मुआयना कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 7 तैयार किया था। हालात मौका प्रदर्श पी 8 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं उसके निर्देशन में संध्या उपनिरीक्षक द्वारा पी़डिता सावित्री देवी के बयान उनके कथनानुसार किये थे जिन्हें शामिल पत्रावली किये थे। उसके द्वारा दौराने अनुसंधान पी़डिता के पति जगदीश के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्व कर शामिल पत्रावली किये थे व पी़डिता के 164 सीआरपीसी के कथन करवाये जाने बाबत न्यायालय को लिखा पत्र प्रदर्श पी 11 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

दौराने जिरह उक्त साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 5 में घटना की दिनांक, वार अंकित नहीं है अजखुद कहा कि 2 माह पूर्व की घटना का अंकन है। यह बात भी सही है कि प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 5 में निश्चित माह का अंकन नहीं है। यह भी सही है कि प्रार्थना पत्र में जो दिनांक अंकित है उसके नीचे लघु हस्ताक्षर नहीं है इस बाबत उसने पीड़िता से कोई पूछताछ नहीं की थी। यह बात सही है कि पीड़िता का पति घटना स्थल का निरीक्षण व मुकदमा दर्ज करावाने के दौरान पीड़िता के साथ मौजूद रहा था। यह सही है कि घटना स्थल प्रदर्श पी 7 है वो रिहायशी इलाका है। घटना से 2 माह बाद पुलिस थाने में प्रार्थना पत्र देने में देरी होने का कारण पीड़िता का पति बाहर जाना बताया था। यह भी सही है कि उसके अनुसंधान में यह बात आई थी कि पीड़िता बाहर नहीं गई थी वो हनुमानगढ़ ही थी।

16– इसी प्रकार प्रकरण के अग्रिम अनुसंधान अधिकारी अरूण कुमार पी.ड. 7 ने दौराने मुख्य परीक्षण कथन किए हैं कि दिनांक 02.11.2022 को वह पुलिस उप अधीक्षक एससी/एसटी सेल हनुमानगढ़ के पद पर पदस्थापित था। एफआईआर संख्या 411/22 पीएस महिला थाना हनुमानगढ़ की पत्रावली वास्ते अग्रिम अनुसंधान उसे प्राप्त हुई थी। उसने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अनुसंधान प्रारम्भ किया। दौराने अनुसंधान पी़डिता सावित्री देवी के धारा 164 सीआरपीसी के लेखबद्व बयान की सत्यापित प्रति उसने शामिल पत्रावली

की थी। पी़डिता के 164 सीआरपीसी के बयानो की मूल प्रति प्रदर्श पी 8 है जिस पर ए से बी स्थान पर पी़डिता के हस्ताक्षर है। पी़डिता के बयानो की प्रति प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त न्यायिक मजिस्टेªट महोदय को उसके द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श पी 13 है। पत्रावली का अवलोकन व उसके अनुसंधान में मुलजिम काले खां के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 450, 376(2)(द), 506 आईपीसी व 3(1)(S), 3(2)(Va), 3(2)(V), 3(1)(W)(ii) एससी/एसटी ऐक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर मुलजिम काले खां को जरिये फर्द के गिरफतार किया था। मुलजिम काले खां पुत्र मुन्सफ अली जाति मुसलमान निवासी वार्ड नंबर 05 मस्जिद के पास नई खुंजा हनुमानगढ़ जंक्शन की फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 14 है। मुलजिम काले खां की गिरफतारी की सूचना मुलजिम के जानकार दारे खां को दी गयी थी सूचना गिरफतारी मुलजिम प्रदर्श पी 15 है। मुलजिम काले खां का पुरूषोत्व बाबत मेडिकल मुआयना करवाने के लिए मेडिकल ज्यूरिष्ट कैलान कॉलोनी को उसके द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श पी 16 है। मुलजिम काले खां पुरूषोत्व बाबत मेडिकल मुआयाना करवाया गया था जो प्रदर्श पी 12 है। तत्पश्चात मुलजिम काले खां के विरूद्व अपराध प्रमाणित मानते हुये पत्रावली एसपी हनुमानगढ़ को भिजवा दी गयी थी।

दौराने जिरह उक्त साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोप पत्र में उसे अनुसंधान प्राप्त होने बाबत दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी 14 में वरवक्त तलाशी मे मुलजिम के पहने हुए कपड़ों के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं मिली थी। यह बात सही है कि प्रदर्श पी 14 तैयार करते समय एक्स स्थान पर लगी फोटो उसी समय उसके रिश्तेदारो से ली थी। मुलजिम की गिरफतारी कार्यालय में की गयी थी। यह भी सही है कि प्रदर्श पी 15 व मेडिकल तहरीर प्रदर्श पी 16 पर समय का अंकन नही है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 15 व प्रदर्श पी 16 पर समय का अंकन इसलिए ना हो कि उक्त प्रदर्श पी 15 व प्रदर्श पी 16 उसके द्वारा तैयार ना किया गया हो। घटना बाबत विशिष्ठ दिनांक उसके अनुसंधान में नहीं आयी थी। यह कहना भी गलत है कि परिवादिया का पति अनुसंधान में हर समय मौजूद रहा हो। अज खुद कहा कि परिवादिया का पति अनुसंधान में हर समय मौजूद नहीं था। उसके अनुसंधान में ऐसी कोई बात नहीं आयी परिवादिया के पति व काले खां में पूर्व में आपस में कोई रंजिश रही हो।

17- अंत में प्रकरण में आरोप पत्र पेश कर्ता साक्षी मोनिका पी.ड. 8 के रूप में परीक्षित हुई, ने दौराने मुख्य परीक्षण यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 24.04.2023 को महिला थाना हनुमानगढ़ में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित थी। उसे एफआईआर संख्या 411/22 की पत्रावली बाद अनुसंधान वास्ते चालान पेश करने हेतु प्राप्त हुई थी। उसने मुलजिम काले खान पुत्र मुन्सफ अली जाति मुसलमान निवासी वार्ड नंबर 5 मस्जिद के पास

नई खुंजा हनुमानगढ़ के खिलाफ जुर्म धारा 450, 376(2)(n), 506 आईपीसी व 3(1)(S), 3(2)(Va), 3(2)(V), 3(1)(W)(ii) एससी/एसटी ऐक्ट में चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश की थी। दौराने जिरह उक्त साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने उक्त पत्रावली में कोई अनुसंधान नहीं किया था ना ही पत्रावली में पीड़िता के बयान लिए थे। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने घटनास्थल का निरीक्षण नहीं किया था।

18- प्रकरण में न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना था कि क्या परिवादिया/पीड़िता "S" अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सदस्या है जिस संबंध में पत्रावली पर पीड़िता का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, हालांकि अभियोजन द्वारा उसे प्रदर्शित नहीं करवाया गया है, परंतु उस पर किसी प्रकार की आपति अभियुक्त पक्ष द्वारा भी नहीं की गई। हस्तगत प्रकरण में परिवादिया/पीड़िता जिसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 5 के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त परिवादिया पक्षद्रोही घोषित हुई है जिसके द्वारा दौराने साक्ष्य कथन किया गया कि उसने उक्त मुकदमा अपने पति के कहने पर किया एवं गवाह के द्वारा प्रार्थना पत्र के समस्त तथ्यों से इंकारी की गई। परिवादिया का पति जगदीश जो कि पी.ड. 2 के रूप में परीक्षित हुआ। उक्त गवाह जो कि घटना के समय स्वयं के घर से बाहर होने एवं लम्बे समय के पश्चात वापस आने का अपनी पत्नी के द्वारा घटना के बारे में बताए जाने संबंधी कथन किए, परंतु पी.ड. 2 जगदीश द्वारा इस संबंध में कोई कथन नहीं किया गया कि उसे अभियुक्त द्वारा पीड़िता/परिवादिया का कोई आपतिजनक खींची गई फोटो व वीड़ियो भी दिखाया गया हो। उक्त प्रकरण जो कि घटना के दो माह पश्चात दायर करवाया गया जिसके संबंध में भी पी.ड. 2 द्वारा कथन किया गया कि उसके एवं उसकी पत्नी के पास फोन है उसकी पत्नी ने फोन पर इस घटना के बारे में नहीं बताया था, जबकि इस प्रकार की कोई गंभीर घटना किसी व्यक्ति की पत्नी अथवा उसके घर की महिला के साथ कारित होती है तो निश्चित तौर पर वार्तालाप के दौरान बताई जाती है अथवा किसी महिला के साथ इस प्रकार की घटना घटित होने पर उसके व्यवहार में असमानता को भांप लिया जाता है। प्रकरण में मुर्तिब नक्शा मौका प्रदर्श पी 7 के अनुसार किसी भी स्वतंत्र गवाह को प्रकरण में गवाह नहीं रखा गया जो कि इस बात की ताईद करता हो कि मुलजिम परिवादिया के घर पर जब उसका पति न रहता हो, तब आता जाता था। पीड़िता के मेडिकल मुआयना के संबंध में डॉ. अनुपमा पी.ड. 1 परीक्षित हुई जिसने अपनी जिरह में कथन किया कि पीड़िता ने 40 दिन पुराना वाका बताया था और वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकती कि उसके साथ किसी प्रकार का फोर्सफुली इंटरकोर्स हुआ हो। प्रकरण में देरी से दर्ज करवाई गई एफ.आई.आर. के संबंध में भी कोई ठोस कारण नहीं बताया गया एवं न ही परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 5 में जिन अश्लील फोटोग्राफ वीड़ियों का उल्लेख किया गया ऐसे कोई फोटोग्राफ व वीड़ियो अभियुक्त के कब्जे से बरामद

किए गए।

19– ऐसे में उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन एवं विश्लेषण से यही निष्कर्ष निकलता है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त काले खां के विरूद्ध उस पर आरोपित अपराधों बाबत कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य नहीं आई है। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अहम साक्षी स्वयं पीड़िता पी.ड. 2 पूर्णतया पक्षद्रोही रही हैं जिसने अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित उपरोक्त महत्वपूर्ण साक्षी पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी है कि अभियुक्त काले खां ने दिनांक 15.10.2022 को पुलिस थाना में दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट से लगभग दो माह पूर्व वाके वार्ड नंबर 58 सुरेशिया हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित पीड़िता के रहवासीय मकान में आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अतिचार किया हो व उक्त दिनांक से पूर्व व पश्चात विभिन्न समयो पर पीड़िता के रहवासी मकान में बार–बार उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती उसके साथ बलात्संग कर पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर उसका संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास किया हो तथा अभियुक्त ने पीड़िता जो कि अनुसूचित जाति की सदस्या है को लोदृष्टि स्थान पर जातिसूचक गाली गलौच की हो व उसके साथ लैंगिक प्रकृति के शब्दों, कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग किया हो व उसके विरूद्ध भा.दं.सं. के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध को कारित किया हो तथा उसके विरूद्ध अनुसूची में वर्णित किसी भी अपराध को कारित किया हो। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण अनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध उस पर आरोपित अपराधों के आरोप साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। इसलिए उक्त अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराधों के आरोप से संदेह के लाभ में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

––आदेश––

20– अतः अभियुक्त काले खां पुत्र मुंसफ अली, उम्र–42 वर्ष, निवासी–वार्ड नं. 5, नई खुंजा, तहसील व जिला हनुमानगढ़ को धारा 450, 376(2)(n), 506 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(S), 3(2)(V), 3(2)(Va), 3(1)(W)(ii) एससी/एसटी एक्ट के आरोप से संदेह के लाभ में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, जिसकी नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में लिए गए जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

ह0/–

(सुनीता बेड़ा)
विशिष्ट न्यायाधीश
एस.सी./एस.टी.(अत्याचार निवारण प्रकरण)
हनुमानगढ़

21- यह निर्णय आज दिनांक 03.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

ह0/-
(सुनीता बेड़ा)
विशिष्ट न्यायाधीश
एस.सी./एस.टी.(अत्याचार निवारण प्रकरण)
हनुमानगढ़

VINAY KUMAR
Digitally signed by VINAY KUMAR
Date: 2026.08.05 11:27:21 +0530